न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय(प्रथम)

महिला उत्पीड़न, भदोही।

उपस्थितः– पुष्पा सिंह

(उच्चतर न्यायिक सेवा)

जे.ओ.कोड–यू.पी.01588

सत्र परीक्षण संख्या–110 सन् 2019

सी.एन.आर.नं.यू.पी.एस.एन.10013242019

उत्तर प्रदेश राज्य .....अभियोजन पक्ष।

बनाम

शीबू पुत्र पीर गुलाम, निवासी बैरीपरवा

थाना–सुरियाँवा, जनपद–भदोही। .....अभियुक्त।

अपराध संख्या–222 सन् 2017

धारा–363, 366भारतीय दण्ड संहिता

थाना–सुरियाँवा, जनपद–भदोही।

निर्णय

1. अभियुक्त शीबू पुत्र पीर गुलाम के विरूद्ध थाना–सुरियाँवा की पुलिस द्वारा मु०अ०सं०–222 सन् 2017, अंतर्गत धारा–363, 366 भारतीय दण्ड संहिता, थाना–सुरियाँवा, जिला–भदोही के अन्तर्गत आरोप पत्र प्रेषित कर दण्डित किये जाने की याचना की गयी है।

2. प्रस्तुत प्रकरण का संपूर्ण विवरण प्रारुप में संक्षेप में निम्नवत है–

अपराध कारित किए जाने का दिनांक	22.08.2017
प्रथम सूचना रिपोर्ट का दिनांक	24.08.2017
न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित करने का दिनांक	28.07.2018
आरोप विरचन का दिनांक	27.08.2019
साक्ष्य प्रारम्भ होने का दिनांक	23.10.2019
अभियुक्त कथन अंकित करने का दिनांक	06.07.2026
अभियुक्त की दलील	14.07.2026
पत्रावली निर्णय हेतु सुरक्षित रखने का दिनांक	17.07.2026

निर्णय का दिनांक	17.07.2026
दण्डादेश पारित करने का दिनांक, यदि कोई हो	

3. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा ने दिनांक 24.08.2017 को थानाध्यक्ष सुरियाँवा को लिखित तहरीर प्रदर्श क–1 इस आशय से दिया कि वह ग्राम बैरीपरवा थाना सुरियाँवा जनपद भदोही का निवासी है। दिनांक 22.08.2017 को उसकी लड़की पीड़िता से शीबू पुत्र पीरगुलाम निवासी बैरीपरवा थाना सुरियाँवा भदोही टेलीफोनिक वार्ता कर उसके गांव के नहर पर समय करीब 5.00 बजे बुलाकर भगा ले गये हैं। इसके सम्बन्ध में वह अब तक पता लगाता रहा लेकिन कहीं पता नहीं चला। उसकी लड़की की उम्र करीब 18 वर्ष है। शीबू शादीशुदा होते हुए भगा ले गया है। उसकी लड़की अपने साथ 40 हजार नकद एवं सोने चांदी का आभूषण भी साथ ले गयी है। अतः उसका मुकदमा लिखकर कानूनी कार्यवाही करने का निवेदन किया।

4. वादी मुकदमा की उपरोक्त लिखित तहरीर के आधार पर थाना–सुरियाँवा में दिनांक 24.08.2017 को समय 10.00 बजे मु०अ०सं०–222 सन् 2017 अंतर्गत धारा–363, 366 भारतीय दण्ड संहिता में पंजीकृत किया गया था तथा बाद विवेचना विवेचक के द्वारा अभियुक्त शीबू के विरूद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा–363, 366 भारतीय दण्ड संहिता, न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भदोही–ज्ञानपुर में विचारण हेतु प्रेषित किया गया।

5. अभियुक्त शीबू के विरूद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा– 363, 366 भारतीय दण्ड संहिता, न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भदोही–ज्ञानपुर द्वारा दिनांक 28.07.2018 को प्रसंज्ञान लिया गया और मामला सत्र परीक्षणीय होने के आधार पर पत्रावली दिनांक 06.05.2019 को सत्र न्यायालय सुपुर्द की गयी। माननीय सत्र न्यायाधीश के द्वारा पत्रावली अन्ततः अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय (प्रथम) महिला उत्पीड़न, भदोही–ज्ञानपुर के न्यायालय में अन्तरित की गयी।

6. अभियुक्त शीबू के विरूद्ध आरोप दिनांक 27.08.2019 को धारा– 363, 366 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत विरचित किया गया। अभियुक्त ने आरोपों से इंकार किया व विचारण की मांग की।

7. अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में अभियोजन साक्षी क्रमांक–1 वादी मुकदमा, अभियोजन साक्षी क्रमांक–2 माता पीड़िता, अभियोजन साक्षी क्रमांक–3 पीड़िता के भाई, अभियोजन साक्षी क्रमांक–4 अजीत विक्रम सिंह सहायक

अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय कुसौली, अभियोजन साक्षी क्रमांक–5 ए.सी.पी.प्रद्युम्न सिंह तथा अभियोजन साक्षी क्रमांक–6 पीड़िता को परीक्षित कराया गया तथा साक्ष्य अभियोजन समाप्त किया गया और अभियोजन द्वारा पुलिस प्रपत्रों पर नियमानुसार प्रदर्श डाले गये–

दिनांक	बयान साक्षी संख्या	कागज संख्या	प्रदर्श संख्या
23.10.2019	P.W.1 वादी मुकदमा	तहरीर 4अ/3	प्रदर्श क–1
06.12.2019	P.W.2पीड़िता की माता	–––––––	–––––––
25.02.2020	P.W.3 पीड़िता का भाई	–––––––––	–––––––
21.08.2023	P.W.4 अजीतविक्रम सिंह	प्रवेश पंजिका10ब/1	प्रदर्श क–2
28.08.2024	P.W.5उ०नि०प्रद्युम्न सिंह	1चिक एफ.आई.आर. कागज सं०2अ/1–2 2.कायमी जी०डी० कागज संख्या–7अ	प्रदर्श क–3 प्रदर्श क–4
12.05.2025	P.W.6. पीड़िता	बयान 164 दं.प्र.सं. बयान 161 दं.प्र.सं.	प्रदर्श क–5 प्रदर्श क–6

8. अभियुक्त का बयान अर्न्तगत धारा–313 द०प्र०सं० अंकित किया गया। अभियुक्त ने मुकदमा रंजिशन कायम कराने, गवाहान द्वारा गलत बयान देने व फर्जी प्रपत्र आदि साबित करने का कथन किया है। अभियुक्त की ओर से अपने अतिरिक्त कथन में यह कहा गया है कि वादी मुकदमा ने उसके विरोधियों की साजिश में होकर झूंठा एवं बनावटी मुकदमा दाखिल किया है।

9. अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्री प्रवेश तिवारी के द्वारा मौखिक तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा गया कि अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षीगण द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध किये जाने का निवेदन किया गया है।

10. जबकि अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री राम श्रृंगार एडवोकेट द्वारा मौखिक तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि अभियोजन की ओर से परीक्षित तथ्य के साक्षी पीड़िता द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया गया है।

11. इस प्रकरण के निस्तारण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दुओं का निस्तारण किया जाना आवश्यक है।

1. क्या अभियुक्त द्वारा दिनांक 22.08.2017 को समय 5.00 बजे शाम स्थान गांव के नहर के पास बहद ग्राम बैरीपरवा थाना सुरियाँवा जिला भदोही से वादी मुकदमा की पुत्री पीड़िता को बहला फुसलाकर व्यपहरण किया गया ?
2. क्या अभियुक्त द्वारा उपरोक्त दिनांक,समय व स्थान पर वादी मुकदमा की पुत्री पीड़िता को विवाह करने के लिए विवश करने के आशय से या अयुक्त संभोग करने के दुराशय से किया गया ?

विवेचन एवं निष्कर्ष–विचारणीय बिन्द संख्या–1 एवं 2,

12. सुविधा की दृष्टि से तथा साक्ष्यों की पुनरावृत्ति को रोके जाने हेतु, सभी विचारणीय बिन्दुओं का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में सर्वप्रथम तहरीर प्रदर्श क–1 अवलोकनीय है, जिसमें यह अंकना है कि," वह ग्राम बैरीपरवा थाना सुरियाँवा जनपद भदोही का निवासी है। दिनांक 22.08.2017 को उसकी लड़की पीड़िता से शीबू पुत्र पीरगुलाम निवासी बैरीपरवा थाना सुरियाँवा भदोही टेलीफोनिक वार्ता कर उसके गांव के नहर पर समय करीब 5.00 बजे बुलाकर भगा ले गये हैं। इसके सम्बन्ध में वह अब तक पता लगाता रहा लेकिन कहीं पता नहीं चला। उसकी लड़की की उम्र करीब 18 वर्ष है। शीबू शादी शुदा होते हुए भगा ले गया है। उसकी लड़की अपने साथ 40 हजार नकद एवं सोने चांदी का आभूषण भी साथ ले गयी है। "

13. इस सम्बन्ध में अभियोजन साक्षी क्रमांक–1,जो कि पीड़िता का पिता है, के द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में कहा गया है कि,"घटना आज से लगभग 2 साल 2 माह पहले की है। उसकी लड़की जिसका नाम पीड़िता उम्र लगभग 17 साल उस समय थी। उसकी लड़की पीड़िता से घटना के 15 साल पहले शीबू पुत्र पीर गुलाम निवासी बैरीपरवा थाना सुरियांवा जिला भदोही बात चीत कर रहे थे। शीबू उसके घर के सामने सड़क के उस पार रहते हैं, वह जाति का भूज है। शीबू जाति का फकीर है। घटना के दिन वह बीमार था। घटना के दिन 22 तारीख को शाम 5:00 बजे उसकी लड़की को उसके घर से आधा किलोमीटर उत्तर नहर पर शीबू ने बुलाया, और उसकी लड़की को लेकर चला गया। वह बीमार था, उसके परिवार के बच्चे बाहर थे। शीबू उसकी लड़की को बंबई घुमाने के बहाने ले गया था। उसकी लड़की गहना लेकर भागी थी गहना उसकी औरत का और उसकी लड़की का है, उसका 40,000 रूपये जो शादी के लिये उसने लड़की को रखने के लिये दिया था, वह लेकर चली गयी। उसने लड़की की खोजबीन किया, लड़की का कुछ पता नहीं चला। घटना की सूचना घटना के 2 दिन बाद थाना सुरियांवा में

लिखवाकर दिया, जिस आदमी ने उसकी दरखास्त लिखा था, उसका नाम वह नहीं जानता। प्रार्थनापत्र पढ़वाकर सुनने के बाद उसने उस पर हस्ताक्षर किया था, जो उसने ध्यान लिखवा दिया था। गवाह ने पत्रावली में संलग्न कागज संख्या 4 अ/3 देखकर कहा कि यह वही तहरीर है जिसे उसने थाना पर दिया, गवाह ने तहरीर पर अपने हस्ताक्षर की पुष्टि किया जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। तहरीर में लड़की की उम्र अंदाज से लिखाया था। उसकी लड़की प्राईमरी स्कूल बैरीपरवा में कक्षा 5 तक पढ़ी है। प्राईमरी स्कूल बैरीपरवा से उसने प्रधानाध्यापक से प्रमाणित करवाकर लाया और उसे दरोगा साहब को दिया था। दरोगाजी उसका घटना के बाबत पहली बार बयान प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाने के 2 दिन के बाद लिया था, फिर दुबारा बयान 14 दिन बाद लिये थे। उसकी लड़की की सुपुर्दगी उसे कोर्ट से मिली थी। इस समय मेरी लड़की अभियुक्त शीबू के साथ है। लड़की जब पकड़ी गयी थी तब अभियुक्त शीबू के साथ थी। लड़की का डाक्टरी मुआयना हुआ था, वह साथ में नहीं था। लड़की का बयान जब मजिस्ट्रेट के समक्ष हुआ था तो वह नहीं था, मुझे सूचना नहीं दिया गया था। दरोगाजी को उसने घटनास्थल दिखाया था। दरोगाजी नक्शानजरी बनाया था।" इस साक्षी के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी क्रमांक–2 जो कि पीड़िता की माँ है, के द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में कहा गया है कि घटना हुए दो साल तीन महीना हो गये। उसकी लड़की उम्र करीब 16 साल को उस दिन शीबू पुत्र पीरगुलाम जो कि उसके गांव का रहने वाला है समय करीब 5.00 बजे शाम बहला फुसलाकर मोटर साइकिल पर बैठाकर भगा ले गया। शीबू पहले से ही विवाहित है, उसको पत्नी व बच्ची है। शीबू द्वारा उसकी लड़की को भगाकर ले जाते हुए उसने देखा था। उसकी लड़की अपने साथ चालिस हजार रुपया व सोने चांदी के गहने भी लेकर गयी थी। लड़की को दो दिन तक खोजते रहे नहीं मिलने पर घटना के दो दिन बाद उसके पति ने थाना सुरियाँवा में घटना की रिपोर्ट दर्ज करायी। घटना के बारे में दरोगा जी उससे पूछ ताछ किये थे। अभियोजन साक्षी क्रमांक 3 जो कि पीड़िता का भाई है, के द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में कहा गया है कि वह कक्षा 5 तक पढ़ा है। दिनांक 22.08.2017 को वह मतेथू रामायण में गया था, वहाँ से वह दुर्गागंज कुढ़वा चला गया था। वापस आने पर दो दिन बाद जानकारी हुई कि उसकी बहन पीड़िता को जिस समय उसकी उम्र 16 साल थी उसे उसके घर के सामने रहने वाला शीबू पुत्र पीरगुलाम जिसका उसके घर आना जाना रहता था व उसकी बहन भी उसके घर आती जाती रहती थी, नहरा पर बुलाकर बहला फुसलाकर बम्बई लेकर चला गया। उसकी बहन जाते समय घर में रखा चालिस हजार

रुपया व सोने चांदी के आभूषण लेकर चली गई थी। वे लोग उसकी काफी खोजबीन किये तो पता चला कि उसे शीबू ले गया है। शीबू की शादी पहले ही हो चुकी थी। घटना की सूचना दिनांक 24.08.2017 को उसके पिता ने थाना सुरियाँवा में दिया था। घटना के बारे में उसने पुलिस को सही बातें बताई थी।

14. उल्लेखनीय है कि प्रदर्श क–5 जो कि पीड़िता का बयान अन्तर्गत धारा–164 दण्ड प्रक्रिया है, जिसमें पीड़िता द्वारा अपनी आयु 20 वर्ष बतायी गयी है तथा पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के समक्ष यह कथन किया है कि,"लगभग 1 माह पूर्व मैं घर से अकेले भागी थी। पूछने पर महीने का नाम नहीं बता पायी। मैं सिबू को 6–7 साल पहले से जानती हूँ। मेरे पड़ोस का है। मेरी सिबू से अच्छी जान–पहचान थी। मेरे घर में मुझे सब मारते पीटते थे इसीलिए भाग गयी। मैं भागकर सिबू के पास गोपीगंज जहाँ वो काम करता है गयी और उसे जबरन लेकर जौनपुर भाग गयी। जहाँ हम लोगों ने वहाँ भाड़े पर रुम लिया। जहां हम लोगों ने कोर्ट मैरिज किया। जौनपुर इलाहाबाद होते हुये गये थे और कोर्ट मैरिज इलाहाबाद में की थी। पूछने पर तारीख नहीं याद। मैं सिबू के साथ अपने मन से भागी थी,उसने मुझे डराया–धमकाया नहीं था। और न आज गवाही देने के लिये डराया धमकाया है। मैं सिबू के साथ रहना चाहती हूँ।" पीड़िता के उपरोक्त कथनों से स्पष्ट है कि पीड़िता द्वारा बतौर अभियोजन साक्षी क्रमांक–6 अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है तथा पीड़िता द्वारा बतौर अभियोजन साक्षी क्रमांक–6 अपने मुख्य परीक्षण में कहा गया है कि,"घटना दिनांक 22.08.2017 की है। शीबू उसका पड़ोसी है, वह उसे घटना के चार पांच साल पहले से जानती है। उसके घर वाले उसे मारते पीटते थे, इसलिए वह स्वयं घर से भागकर अपनी नानी के यहाँ चली गयी। उसे शीबू ने भगाया नहीं था, ना ही डराया धमकाया था। शीबू उसके साथ शादी किया है। वह शीबू के साथ सात वर्ष से रह रही है। न्यायालय के आदेश से सील बन्द लिफाफा खोला गया तथा साक्षी को धारा–164 दण्ड प्रक्रिया संहिता का बयान दिखाया गया तो उसने अपने फोटो व हस्ताक्षर की पुष्टि की, जिस पर प्रदर्श क–5 डाला गया। गवाह ने धारा–161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान देखकर उस पर बने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि किया, जिस पर प्रदर्श क–6 डाला गया। साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में यह भी कहा है कि उसे शीबू ने कोई प्रलोभन नहीं दिया था। शीबू से उसका विवाह कोर्ट मैरिज इलाहाबाद में हुआ था, वह उसने अपनी मर्जी से किया था। अभियोजन साक्षी क्रमांक–1 जो कि पीड़िता का पिता है, के द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में कहा गया है कि पीड़िता अभियुक्त शीबू के साथ

रह रही है। लड़की जब पकड़ी गयी तब शीबू के साथ थी। अभियोजन साक्षी क्रमांक–3 जो कि पीड़िता का भाई है, के मुख्य परीक्षण के कथनों से स्पष्ट है कि वह मामले का अनुश्रुत साक्षी है। उसके द्वारा जो भी साक्ष्य दिया गया है, वह अपने माँ बाप के बताने के अनुसार दिया गया है। इस साक्षी के प्रतिपरीक्षण दिनांकित 21.10.2022 का अवलोकन यहाँ पर आवश्यक है, जिसमें उसके द्वारा यह कहा गया है कि,"यह बात सही है कि मेरी बहन मुस्लिम के साथ रह रही है। मेरी बहन स्वेच्छा से शीबू के साथ चली गयी है। अभियोजन साक्षी क्रमांक–1 पीड़िता के पिता ने अपने प्रतिपरीक्षण के पृष्ठ संख्या–3 में कहा है कि उसकी बेटी शीबू से पहले से ही बातचीत करती रहती थी। इसी साक्षी के प्रतिपरीक्षण दिनांकित 06.12.2019 का अवलोकन आवश्यक है,जिसमें उसके द्वारा कहा गया है कि शीबू द्वारा पीड़िता को भगाकर ले जाते हुए उसने देखा था। पीड़िता अपने साथ चालिस हजार रुपये व सोने चांदी के गहने भी लेकर गयी थी। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी क्रमांक–2 जो कि पीड़िता की माता है, के द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में कहा गया है कि जब उसकी लड़की को शीबू भगाकर ले जाते हुए उसने देखा तो घटना की सूचना इसलिए नहीं दिया कि थाना उस दिन बंद था व हेरने खोजने में रात हो गई थी। अगले दिन भी वह सोच रही थी,किसी रिश्तेदारी–नातेदारी में हो सकता है कि शीबू लिवाकर गये होंगे तो आज पहुंचा ही देंगें। उसने करीब 20–25 दिन तक इंतजार किया कि अब भी शीबू उसकी लड़की को ले आकर उसे दे देंगें, तब भी शीबू उसकी लड़की को ले आकर वापस नहीं दिये।

15. अभियोजन साक्षी क्रमांक–5 ए.सी.पी.प्रद्युम्न सिंह, जो कि चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट के लेखक हैं,के द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में कहा गया है कि,"घटना के समय वह थाना सुरियाँवा में ए.सी.पी. के पद पर कार्यरत था। अपने उक्त तैनाती के दौरान वादी की लिखित तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या–222 सन् 2017,धारा 363,366 भारतीय दण्ड संहिता विरुद्ध शीबू कम्प्यूटर पर बोलकर अक्षरशः टाइप कराया तत्पश्चात थाना प्रभारी के हस्ताक्षर कराये। प्रथम सूचना रिपोर्ट पत्रावली में कागज संख्या–2अ/1–2 संलग्न है,जिसकी वह पुष्टि करता है,जिस पर प्रदर्श क–3 डाला गया। उसी दिन उसके द्वारा रोजनामचा संख्या–17 दिनांक 24.08.2017 समय 10.00 बजे जी०डी० कम्प्यूटर पर बोलकर टाइप कराया जो कि पत्रावली में कागज संख्या–7 अ है, जिसकी वह पुष्टि करता है,जिस पर प्रदर्श क–4 डाला गया। विवेचक ने उसका बयान लिया था।

16. यहाँ यह उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत प्रकरा में घटना दिनांक 22.08.2017 की है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 24.08.2017 को लिखायी गयी है। जबकि पीड़िता के माँ बाप द्वारा स्वयं अपनी आखों से देखा गया कि अभियुक्त शीबू पीड़िता को भगा ले जा रहा है। ऐसी स्थिति में प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना के दो दिन बाद क्यों लिखाई गयी, इसका कोई पर्याप्त स्पष्टीकरण अभियोजन द्वारा नहीं दिया गया है।

18. उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अभियोजन अभियुक्त शीबू के विरुद्ध यह तथ्य संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि दिनांक 22.08.2017 को समय 5.00 बजे शाम स्थान गांव के नहर के पास बहद ग्राम बैरीपरवा थाना सुरियाँवा जिला भदोही से वादी मुकदमा की पुत्री पीड़िता को बहला फुसलाकर व्यपहरण किया गया तथा अभियुक्त द्वारा उपरोक्त दिनांक,समय व स्थान पर वादी मुकदमा की पुत्री पीड़िता को विवाह करने के लिए विवश करने के आशय से या अयुक्त संभोग करने के दुराशय से किया गया है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त शीबू को सत्र परीक्षण संख्या–110 सन् 2019 में लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा–363,366 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। अतः अभियुक्त उपरोक्त संदेह का लाभ प्राप्त करते हुए दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त शीबू पुत्र पीरगुलाम को सत्र परीक्षण संख्या–110 सन् 2019 उत्तर प्रदेश राज्य प्रति शीबू, मुकदमा अपराध संख्या–222 सन् 2017,में लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा–363,366 भारतीय दण्ड संहिता,थाना–सुरियाँवा, जनपद–भदोही के मामले में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त जमानत पर हैं,उसके जमानतनामें एवं व्यक्तिगत बन्ध–पत्र निरस्त करते हुए प्रतिभूगण को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त उपरोक्त के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–437A के अनुपालन में मु०20,000/–रुपये का व्यक्तिगत बन्ध–पत्र व समान धनराशि की दो प्रतिभू अविलम्ब दाखिल किया जाये, जो अपील अवधि तक प्रभारी रहेगा।

दिनांक 17.07.2026

(पुष्पा सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश/
त्वरित न्यायालय(प्रथम)
महिला उत्पीड़न,भदोही।

निर्णय आज खुले न्यायालय में तिथि सहित हस्ताक्षर करके मेरे द्वारा उद्घोषित किया गया।

दिनांक 17.07.2026

(पुष्पा सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश/
त्वरित न्यायालय(प्रथम)
महिला उत्पीड़न, भदोही।

Digitally signed by PUSHPA SINGH
Date: 2026.08.01 12:16:43 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court